

कार्यालय निदेशक/वन संरक्षक, नन्दादेवी बायोस्फियर रिजर्व, गोपेश्वर।

Email dirndbr-forest-uk@nic.in Off. Ph.&fax 01372252497

वन मित्र कॉन्सेंटर - 920 800 8000



पत्रांक- 400 / 12-1 गोपेश्वर दिनांक 05 अगस्त 2021.
सेवा में,

अपर प्रमुख वन संरक्षक
एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण,
इन्दिरा नगर, फॉरेस्ट कॉलोनी,
देहरादून।

विषय:- जनपद चमोली के विकास खण्ड पोखरी में राजकीय इण्टर कॉलेज चौण्डी से विरसण सेरा मोटर मार्ग के नव निर्माण हेतु 1.75 है0 वन भूमि का हस्तान्तरण प्रस्ताव।

सन्दर्भ:- पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार का पत्रांक 8बी./यू.पी.सी. /06/16/2021/एफ0सी0/266, दिनांक 29.06.2021। प्रस्ताव संख्या FP/UK/ROAD/38635/2019.

महोदय,

उपरोक्त विषयक प्रकरण पर उप वन संरक्षक, केदारनाथ वन्यजीव प्रभाग, गोपेश्वर के पत्रांक 568/12-1, दिनांक 29.07.2021 द्वारा वाच्छित आख्या आपको प्रेषित की गयी है। अतः उप वन संरक्षक, केदारनाथ वन्यजीव प्रभाग, गोपेश्वर की आख्या के आधार पर उक्त प्रकरण पर बिन्दुवार वाच्छित आख्या संस्तुति सहित अग्रेत्तर कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित है :-

S. No.	Quary	Reply
1	In reply to point no 03 name if area mentioned in DFO's Sir is village nauli but at para L in part I and para 13 in part II the name of the CA area is mentioned as village mayadi and birsan state government may submit clarification in this regard further date of inspection is also not mentioned.	The Correction has been made by DFO in part II Additional Information S.No. 13 with online Portal.
2	In reply to point no 04 name of CA area still not mentioned in CA scheme state government may submit/upload the CA scheme mentioning the name of the proposed CA area.	The Correction has been made by DFO in part II Additional Information S.No. 7 & 8 with online Portal.
3	It has been noticed that the cutton work done in starting part of proposed road and as per bar chart the same is reserve forest area. State government may submit a detaied report of the concerned DFO in this regard.	प्रस्तावित राजकीय इण्टर कॉलेज चौण्डी से विरसण सेरा तक मोटर मार्ग निर्माण के सम्पूर्ण संरेखण में किसी भी प्रकार से आरक्षित वन भूमि में निर्माण कार्य नहीं किया गया है। प्रमाण पत्र संलग्न है।

भवदीय


(अमित कंवर)

निदेशक/वन संरक्षक
नन्दादेवी बायोस्फियर रिजर्व, गोपेश्वर।

कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी केदारनाथ वन्यजीव प्रभाग, गोपेश्वर।

Phone / Fax No-01372252149

Email- dfokedarnath@gmail.com

पत्राक:- 568 / 12-1 गोपेश्वर,

दिनांक 29-7 2021

सेवा में,

अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी,
वन संरक्षण, भूमि सर्वेक्षण निदेशालय,
इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी,
देहरादून।

द्वारा:- निदेशक / वन संरक्षक, नन्दादेवी बायोस्फियर रिजर्व गोपेश्वर।

विषय:- जनपद चमोली के विकासखण्ड पोखरी में राजकीय इण्टर कॉलेज चौण्डी से विरसण सेरा-मोटर मार्ग के नव निर्माण हेतु 1.75 है० वन भूमि का गैर वानिकी कार्य हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन किये जाने के सम्बन्ध में। (Online No. FP/UK/ROAD/38635/2019)

सन्दर्भ:- भारत सरकार के पत्र सं० 8 बी०/यू०सी०पी०/०६/५२/२०२१/एफ०सी०/२६६ दिनांक २९.०६.२०२१।


महोदय,

उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्र के कम चाही गई सूचना निम्नानुसार प्रेषित है:-

क्र०सं०	इंगित आपत्ति	निराकरण
01	In reply to point no 03 name if area mentioned in DFO's Sir is village nauli but at p[ara L in part I and para 13 in part II the name of the CA area is mentioned as village mayadi and birsan state government may submit clarification in this regard further date of inspection is also not mentioned.	The Objection has been corrected and uploaded online. निरीक्षण 21.07.21 से आदिपुत्री (वनाधिकारी) 21.07.21 पत्र 11 के अन्तर्गत 13 के अन्तर्गत किया गया है।
02	In reply to point no. 4 name of CA area still not mentioned in CA scheme state government may submit/ upload the CA scheme mentioning the name of the proposed CA area.	The Objection has been corrected and uploaded online.
03	It has been noticed that the cuttition work done in starting part of proposed road and as per bar chart the same is reserve forest area. State government may submit a detailed report of the concerned DFO in this regard.	प्रस्तावित राजकीय इण्टर कालेज चौण्डी से विरसण सेरा तक मोटर मार्ग निर्माण में मोटर मार्ग के सम्पूर्ण संरेखण में किसी भी प्रकार से आरक्षित वन भूमि में निर्माण कार्य नहीं किया गया है। प्रमाण पत्र सलग्न है।

संलग्न:- उपरोक्तानुसार

भवदीय,


(अमित कंवर)

प्रभागीय वनाधिकारी,
केदारनाथ वन्यजीव प्रभाग, गोपेश्वर।

प्रारूप ।


परियोजना का आनलाईन प्रस्ताव संख्या - FP/UK/ROAD/38635/2019

परियोजना का नाम:- राजकीय इण्टर कालेज चौण्डी से विरसण सेरा तक मोटर मार्ग का निर्माण ।

परियोजना का क्षेत्रफल है० में:- 1.75 है०
प्रयोक्ता ऐजेन्सी का नाम:- लो०नि०वि० पोखरी ।
वन प्रभाग का नाम:- केदारनाथ वन्यजीव प्रभाग गोपेश्वर ।


प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव में क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु नागनाथ रेंज के अन्तर्गत चयनित ग्राम नौली तहसील पोखरी में 3.50 है० क्षेत्र का अधोहस्ताक्षरी द्वारा दिनांक 30/04/21 को पुनः स्थलीय निरीक्षण किया गया । स्थलीय निरीक्षण के दौरान पाया गया कि क्षतिपूरक वृक्षारोपण क्षेत्र का घनत्व 0.4 से कम है । क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु प्रस्तावित क्षेत्र वनाच्छादित नहीं है, क्षेत्र झाडीनुमा व रिक्त है । रिक्त क्षेत्र में 1100 पौध / है० रोपित हो सकते हैं ।

अतः उक्त क्षेत्र क्षतिपूरक हेतु उपयुक्त है ।


(अमित कंवर)
प्रभागीय वनाधिकारी,
केदारनाथ वन्यजीव प्रभाग, गोपेश्वर ।


प्रमाण पत्र ।

प्रमाणित किया जाता है कि प्रस्तावित राजकीय इण्टर कालेज चौण्डी से विरसण सेरा तक मोटर मार्ग निर्माण में मोटर मार्ग के सम्पूर्ण संरेखण में किसी भी प्रकार से आरक्षित वन भूमि में निर्माण कार्य नहीं किया गया है। प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा मोटर मार्ग निर्माण का कार्य वन संरक्षण अधिनियम 1980 के प्राविधानों के तहत स्वीकृति प्राप्त करने के पश्चात ही किया जायेगा, प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा किसी भी प्रकार से वन संरक्षण अधिनियम 1980 का उल्लंघन नहीं किया गया है।


(प्रकाश सिंह कण्डारी)
वर साठ
दिनांक


(देवेंद्र सिंह रावत)
कृ. शा. वि. वि.


वन वनाधिकारी
नायनाथ कुलकर्णी
दारनाथ


अधिसूची अभियन्ता
निर्माण खण्ड लो0नि0वि0
पोखरी(वमोली)


प्रमाणित वनाधिकारी
केदारनाथ वन्य जीव प्रभाग
गोपेश्वर(वमोली)